

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2019-20/11492

दिनांक: 29-7-19

निमित्त :-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- Construction of Lilo from 220 KV S/C jhalawar- Chhabra line at
purposed 220 kv GSS Aklera, District Jhalawar.

प्रसंग :- ऑनलाईन ई.डी.एस दिनांक 17.07.2019 के क्रम में

महोदय,

उरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि ऑनलाईन ई.डी.एस की पूर्ती निम्नानुसार कर ली गई है :-

क्र०स०	ई.डी.एस	ई.डी.एस का जवाब
1.	उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना हैक्टेयर में प्रस्तावित की गई है। जबकि पार्ट II के बिन्दु संख्या 13 में 48.977 है० अंकित किया गया है, संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	पार्ट II के बिन्दु संख्या 13 में संशोधन कर दिया गया है।
2.	उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा पार्ट II में वृक्षों की सूची में रोज़ एवं खेजड़ी का वानस्पतिक नाम एक ही अंकित किया गया है साथ ही कुछ वृक्षों का वानस्पतिक नाम अंकित नहीं किया गया है। संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	झालावाड़ जिले में बोल चाल की भाषा में रोज़ को जंगली खेजड़ी भी बोला जाता है। अतः खेजड़ी एवं रोज़ एक ही प्रजाति रोज़ का ही नाम है। तथा पार्ट II में संशोधन कर दिया गया है।
3.	उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा 6684 वृक्ष पारिषण लाईन के नीचे आना अंकित किया गया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने वृक्षों का पातन किया जावेगा एवं कितने वृक्षों की छंगाई की जावेगी। पृथक-पृथक सूचा संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	पारिषण लाईन के नीचे वृक्षों का पातन एवं छंगाई की सूचना संलग्न प्रेषित है।
4.	उप वन संरक्षक झालावाड़ द्वारा 24.4888 हैक्टेयर वन क्षेत्र से 6684 वृक्ष पारिषण लाईन के नीचे आना अंकित किया गया है एवं छत्र घनत्व 0.38 अंकित किया गया है कृपया पुनः परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।	पार्ट II में छत्र घनत्व 0.65 सही अंकित कर दिया गया है।
5.	उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा संलग्न किये गये स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में	निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वन भूमि विभिन्न वनखण्डों का वनखण्डवार

les

	प्रस्तावित वन भूमि विभिन्न वनखण्डों से गुजर रही है किन्तु वनखण्डवार स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किन किन वनखण्डों का कितना कितना वनक्षेत्र प्रभावित हो रहा है स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।	स्थिति का अंकन संशोधित कर दिया गया है।
6.	उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा संलग्न स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन संरक्षण अधिनियम 198 का उल्लंघन होना अंकित किया गया है एवं उक्त के क्रम में एफ.आई.आर भी जारी करना अंकित किया है उक्त एफ.आई.आर की क्या स्थिति है स्पष्ट करे एवं भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करते हुए तथ्यात्मक विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत दर्ज वन अपराध प्रकरण सख्या 92-28 दिनांक 17.04.2019 व प्रकरण सख्या 24-11 दिनांक 16.04.2019 में शमन राशि 30000 वसुल कर प्रकरण का निस्तारण किया गया तथा तथ्यात्मक विवरण संलग्न प्रेषित है।
7.	उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा कुछ दस्तावेज विशेषकर गजट नोटिफिकेशन आदि का प्रमाणीकरण नहीं किया गया है। प्रमाणीकरण के साथ साथ हस्ताक्षर के नीचे मुहर भी अंकित की जानी प्रस्तावित है।	दस्तावेजों को प्रमाणीकरण कर मोहर अंकित कर दी गई है।
8.	यूजर एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है जबकि उपखण्ड स्तरीय समिति एवं ग्राम स्तरीय समिति बैठक कार्यवाही विवरण हार्ड प्रति में संलग्न किया गया है। जिला स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण एवं प्रपत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	जिला स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 29/05/2019 निर्धारित प्रपत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

Handwritten signature

(नन्दलाल प्रजापत)

उप वन संरक्षक

झालावाड़